कार्यालय कलेक्टर(पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) जिला इन्दौर

(कक्ष 303 सेटेलाईट भवन कलेक्ट्रेट इन्दौर)

Email :- bcwelfareindore@gmail.com Ph.No. 0731-2369050

क्र./पोमैछा / निर्देश/2022-23/ 508 इन्दौर दिनांक 10 /03/2023

प्रति,

अधिष्ठाता/निर्देशक/प्राचार्य/कुलपति
समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय (समस्त)
....
जिला इंदौर

विषय :- पिछड़ावर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (2.0) योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदनों को स्वीकृति / वितरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

संदर्भ :- 01. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-01/11/54-1 भोपाल दिनांक 12/12/2013

02. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-01/2011/54-1 भोपाल दिनांक 21/09/2016

03. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-01/2011/54-1 भोपाल दिनांक 05/07/2017

04. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ 147/पीएमएस/2018-19/4842 भोपाल दिनांक 27/09/2017

05. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-12-3/2015/54-1 भोपाल दिनांक 19/06/2018

06. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/785/2018/54-1 भोपाल दिनांक 09/07/2018

07. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-12-1/2017/54-1 भोपाल दिनांक 29/08/2019

08. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ पीएमएस/पि.व./2019-20/3955 भोपाल दिनांक 30/08/2019

09. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/ पीएमएस/पि.व./पोर्टल - 06/2021-22/26 भोपाल दिनांक 03/01/2022

--00--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रानुसार शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल (2.0) योजना का प्रारंभ नवीनीकरण छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ किया गया है। <u>जो पूर्णतः पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है।</u>

शैक्षणिक सत्र 2022-23 में (2.0 पोर्टल् हेतु) नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदनों का संस्था स्तर पर परीक्षण पश्चात् अग्रेषण किये जाने एवं समय सीमा में स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु निम्नानुसार दिशा- निर्देश जारी किये जाते है।

01. विद्यार्थीयों द्वारा ऑनलाईन स्कॅालरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरकर एवं आवश्यक दस्तावेज स्केन कर अपलोड करने के पश्चात्, छात्रवृत्ति आवेदन लॉक करके हॉर्ड कॉपी पर स्वयं की फोटो एवं हस्ताक्षर तथा पालक के हस्ताक्षर कराकर आवश्यक दस्तावेजो सहित नवीनीकरण आवेदन संस्था स्तर पर 02 प्रतियों में संधारित कर संस्था में सुरक्षित रखना अनिवार्य है। ताकि आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा निरीक्षण / परीक्षण हेतु मांग किये जाने पर उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।

02. संस्था प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति प्रभारी के द्वारा विद्यार्थी से छात्रवृत्ति आवेदन फार्म एवं आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण करे, तत्पश्चात् ही छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ऑनलाईन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रिसीव करेंगें। छात्रवृत्ति आवेदन में किसी प्रकार की कमीपुर्ति होने की दशा में आवेदन अस्थाई रुप से निरस्त करते हुए विद्यार्थी को लिखित रुप से अवगत कराना आवश्यक है।

निरंतर --02

03. संस्था प्राचार्य/छात्रवृत्ति प्रभारी विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ऑन लाईन रिसीव करने के पश्चात् आवेदन फार्म की हार्ड कॉपी जमा करने की पावती (रसीद) आवश्यक रुप से विद्यार्थी को प्रदान करें।

04. "पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान छात्र के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। विद्यार्थी से छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाईन भरते समय बैंक खाते की सही जानकारी ली जावे तथा संस्था प्राचार्य छात्र के बैंक खाते की जानकारी को स्वयं सत्यापित करें।" **(विद्यार्थीयों के क्योस्क बैंक खाता संबंधी जानकारी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नही किया जावे, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्राचार्य/ निर्देशक होगें।)**

(अ) पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु नियमानुसार पात्रता रखने वाले विद्यार्थी स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना सही आधार नम्बर सावधानी पूर्वक पंजीकृत करेगें, तत् प्राचार्य स्वयं भी परीक्षण करें।

(ब) यदि कोई विद्यार्थी द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या अन्य किसी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करता है, तो वह इस योजना के लाभ के लिए पात्र नही होगा। संस्था प्रमुख यह सूनिश्चित करे।

(स) विद्यार्थी द्वारा गलत या किसी ओर व्यक्ति का आधार नम्बर प्रविष्ट/ उपयोग करना एवं संस्था द्वारा किसी भी छात्र का गलत आधार नम्बर का सत्यापन करना आधार एक्ट 2016 के अध्याय-06 के अनुसार दण्डनीय अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आधार एक्ट 216 के अनुसार तीन साल की कैद या रुपये दस हजार दोनो दण्ड का प्रावधान है।

(द) विद्यार्थी द्वारा गलत या किसी ओर व्यक्ति का आधार नम्बर प्रविष्ट/ उपयोग या सत्यापन करने पर विद्यार्थी का आवेदन बगैर किसी सूचना के निरस्त किया जाएगा। इस के लिए विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ध) संस्था प्राचार्य/छात्रवृत्ति प्रभारी विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में मुख्यरुप से विद्यार्थी द्वारा भरे गये बैंक खाता नम्बर एवं आई.एफ.एस.सी. कोड आवेदन फार्म में लगे बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर पुष्टि करें, तथा क्योस्क बैंकिग खाता मान्य नही होगा, केवल वर्तमान मं प्रचलित एवं आधार लिंक, बचत खाता (सेविंग) होने से छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जावेगी।

(ण) शैक्षणिक सत्र 2021-22 में जिन विद्यार्थीयों के आरटीजीएस फैल हुए है उन छात्रो के बैंक खाता सही होने की पुष्टि के पश्चात ही संस्था छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाईन रिसीव्ड करें। आवेदन फार्म रिसीव्ड होने पर छात्र को सूचना पत्र जारी करते हुए संस्था प्राचार्य/निर्देशक **अपने स्तर से उक्त आवेदन टेम्परेरी निरस्त करें ।**

05. विद्यार्थियों द्वारा पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची (दोनो सेमेस्टर/एक वर्ष) छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्केन कर अपलोड की जाए एवं पोर्टल पर परीक्षा परिणाम की जानकारी अंकित की जाये। संस्था द्वारा प्रमुखता से परीक्षण किया जाये।

06. संस्था प्राचार्य/छात्रवृत्ति प्रभारी छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में मुख्य रुप से विद्यार्थी द्वारा जिस वर्ष हेतु छात्रवृत्ति आवेदन कर रहा है। उसका परीक्षण अंकसूची के आधार पर करें। जिससे पात्र विद्यार्थीयों को छात्रवृत्ति स्वीकृत हो सकें।

07. (अ) म.प्र. शासन पिछड़ावर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रं/ एफ-12-1/2011/54-1 भोपाल 21/09/2016 के अनुसार पिछड़ावर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (2.0) योजना अंतर्गत संपूर्ण स्वीकृत राशि का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जायेगा।

(ब) प्रदेश के शासकीय संस्थाओं में संचालित संचालित केवल बीई/ एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को योजना योजनांतर्गत स्वीकृत शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्कों का भुगतान सीधे शासकीय संस्थाओं के बैंक खाते में भुगतान किया जावेगा, तथा अनुरक्षण भत्ता का भुगतान सीधे विद्यार्थी के एकल बैंक खाते में ऑनलाईन हस्तांतरित किया जावेगा।

08. संस्था प्राचार्य द्वारा पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन फार्मो को संस्था स्तर पर प्रपोजल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से लॉक कर, जिला कार्यालय में प्रपोजल मय संस्था पत्र व निर्धारित प्रारुप जमा करना आवश्यक है। विद्यार्थी के आवेदन एवं मय आवश्यक दस्तावेज संस्था में संधारित करना होगा। **(संलग्न प्रारुप क्र. 01)**

09. संस्था प्राचार्य द्वारा अपूर्ण एवं अपात्र छात्रवृत्ति आवेदन फार्म संस्था स्तर पर निरस्त किये जावेगें। अपूर्ण/अपात्र छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन फार्म जिला कार्यालय को कदापि अग्रेषित न किये जावे। संस्था द्वारा निरस्त किये छात्रवृत्ति आवेदन फार्मो के संबंध में कारण सहित, विद्यार्थियों को सूचित किया जावे एवं ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन फार्मो की एक सूची कारणों का उल्लेख सहित जिला कार्यालय को भेजी जावे। संस्था प्रमुख द्वारा अपूर्ण एवं अपात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म अग्रेषित करने एवं उनकी स्वीकृति एवं वितरण हो जाने पर संबंधित संस्था प्रमुख/प्राचार्य जवाबदार होगें। **(संलग्न प्रारुप क्र. 02)**

10. अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता विभाग के निर्धारित नियम निर्देश एवं पात्रता शर्तो के अनुरुप प्रदान की जायेगी।

निरंतर --03

11. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक/सी-3-7-2013-3-1, भोपाल दिनांक 25 सितम्बर 2014 द्वारा आय प्रमाण-पत्र के सरलीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत अब केवल आय बाबत सादे कागज पर स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र मान्य हो सकेगा। इस हेतु घोषणा पत्र का प्रारूप छात्रवृत्ति निर्देशों के साथ छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। शासन के आदेशानुसार इस सत्र से पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा 3.00 लाख रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है।

12. अन्य पिछडा वर्ग के केवल उन्ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, जिनकी जाति म.प्र. के लिए घोषित एवं अन्य पिछडा वर्ग की सूची में शामिल है तथा इस संबंध में जाति प्रमाण-पत्र म.प्र. के किसी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो, स्वीकार किया जावें।

13. भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्ययनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

14. राज्य के शासकीय महाविद्यालय/ शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

16. अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज) / अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठयक्रमों में प्रवेशित पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के बेसिक पाठयक्रम में ली जा रही है शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

17. मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे.ई.ई (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछडा वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हे पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

18. एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, में जिसमें प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हे पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मैधावी छात्र योजना के समान दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षैत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉण्ड राशि रुपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पॉच वर्ष तथा बॉण्ड की राशि रुपये पच्चीस लाख होगी। **(बॉड की प्रति प्रपोजल के साथ जमा करवा अनिवार्य है)**

19. कार्यालय द्वारा संस्था स्तर से प्राप्त प्रपोजल अनुसार विद्यार्थीयों के छात्रवृत्ति नवीन/ नवीनीकरण आवेदनो का नियमानुसार पात्र विद्यार्थीयों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी तथा स्वीकृति आदेश अनुसार संस्था द्वारा उक्त विद्यार्थीयों की संस्था में प्रवेश दिनांक से छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक उपस्थिति 75 प्रतिशत् आवश्यक है। उपस्थिति संबंधी जानकारी प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर अंकित करे एवं 75 प्रतिशत् से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थीयों की सूची संस्था अपने सूचना पटल पर चस्पा करें एवं विद्यार्थीयों को एस.एम.एस./पत्र/ईमेल के माध्यम से सुचित करें, कि 75 प्रतिशत् से कम उपस्थिति होने से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नियमानुसार जिला कार्यालय द्वारा नही किया जावेगा।

20. संस्था द्वारा 75 प्रतिशत् उपस्थिति का प्रमाण पत्र, विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत लॉक दिनांक से 07 दिवस के भीतर जमा करवाना अनिवार्य है, एवं 75 प्रतिशत् उपस्थिति के संबंध में विद्यार्थी द्वारा लिखित शपथ पत्र के आधार पर संस्था प्राचार्य/निर्देशक की सहमति के पश्चात्, स्वीकृति आदेश अनुसार उपस्थिति की जानकारी एवं विद्यार्थी का उपस्थिति संबंधी घोषणा पत्र कार्यालय में जमा करने के पश्चात् ही विभाग द्वारा संपूर्ण स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान विद्यार्थी के एकल बैंक खाते किया जायेगा। समय सीमा में उपस्थिति प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा न करने पर वितरण की कार्यवाही में होने वाले विलम्ब के लिये संस्था के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होगें। **(संलग्न प्रारूप क्रं. 04(अ))**

21. जिला कार्यालय द्वारा एक बार छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त (अपूर्ण आवेदन/दस्तावेजों के अभाव में) किये जाने पर पुनः विचार नहीं किया जावेगा। छात्रवृत्ति संबंधी दस्तावेजों कें अभाव में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त होने की जवाबदेही संस्था के प्राचार्य/निर्देशक की होगी।

22. समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में पिछडा वर्ग पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रोफार्म में एक पंजी का संधारण किया जाना अनिवार्य है, समय समय पर निरीक्षण के दौरान उक्त संधारित पंजी का अवलोकन करवाना सुनिश्चित करें। **(संलग्न पंजी प्रारूप)**

23. समस्त शासकीय संस्था पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन फार्म की स्वीकृति नियमों का पालन करें।

निरंतर --04

उपरोक्त दिशा निर्देशों के तहत वर्ष 2022-23 में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (2.0 पोर्टल पर) स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जाना है। अतः दिशा निर्देशों का कठाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- प्रारुप (1 से 5)

सहायक संचालक
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
जिला इन्दौर

पृ क्र./पोमैछा / निर्देश/2022-23/ 509 इन्दौर दिनांक 10 /03/2023

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, म.प्र शासन पिछडावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, पिछडावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. कलेक्टर,जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
04. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।

सहायक संचालक
पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
जिला इन्दौर

।। प्रारूप क्र. 01 की जानकारी।।
(छात्रवृत्ति आवेदन फार्म हेतु)

संस्था का कोड .... संस्था का नाम ....

वर्ष 2022-23 में कार्यालय द्वारा जारी छात्रवृत्ति दिशा निर्देश के आदेश क्र...................................... दिनांक .... के तहत बिन्दु क्र. 01 के अंतर्गत संस्था स्तर पर विद्यार्थीयों से प्राप्त (2.0 पोर्टल पर) नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन फार्म मय आवश्यक दस्तावेजो सहित एवं संस्था प्रवेश आवेदन फार्म की सत्यापित फोटोकॉपी, छात्रवृत्ति प्रभारी व संस्था प्राचार्य के द्वारा सूक्ष्म परीक्षण उपरांत संस्था में सुरक्षित रूप से संधारित कर संस्था में रखे गये है। छात्रवृत्ति प्रपोजल क्रमांक .... दिनांक .... की संलग्न सूची अनुसार तैयार कर स्वीकृति हेतु विभाग को प्रेषित किये जा रहे है।

कृपया स्वीकृति की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर
छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम ---------
मोबाईल नम्बर ....
दिनांक ....

प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
प्राचार्य/निर्देशक का नाम ---------
मोबाईल नम्बर ....
दिनांक ....

नोटः- प्रारूप विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

।। प्रारूप क्र. 02 की जानकारी।।
(संस्था स्तर से निरस्तीकरण प्रारूप)

संस्था का कोड .... संस्था का नाम ....

वर्ष 2022-23 में संस्था स्तर पर विद्यार्थीओ से प्राप्त छात्रवृत्ति (2.0 पोर्टल पर) आवेदन फार्मो का सूक्ष्म परीक्षण छात्रवृत्ति प्रभारी एवं संस्था प्राचार्य के द्वारा किया गया जिसमें नीचे दी गई सूची अनुसार विद्यार्थीयों के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म संस्था स्तर से मय कारण सहित निरस्त किये गये जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	छात्र की अप्लीकेशन आई.डी	छात्र का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	जन्म दिनांक	कोर्स/ब्रांच	वर्ष (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ)	छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त करने का दिनांक	संस्था स्तर पर छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त करने का कारण

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर
छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम ---------
मोबाईल नम्बर ....
दिनांक ....

प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
प्राचार्य/निर्देशक का नाम ---------
मोबाईल नम्बर ....
दिनांक ....

नोटः- प्रारूप विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

।।प्रारुप क्र. 03 की जानकारी।।

(संस्था द्वारा कार्यालय में जमा करने हेतु)

(संस्था द्वारा छात्रो के बैक खाते सही होने संबंधी प्रारुप)

संस्था का कोड .... संस्था का नाम ....

वर्ष 2022-23 (2.0 पोर्टल पर) में कार्यालय द्वारा जारी छात्रवृत्ति दिशा निर्देश के आदेश क्र..................... दिनांक .... के तहत बिन्दु क्र. 04 के अंतर्गत प्रपोजल क्रमांक .... दिनांक .... की संलग्र सूची अनुसार कुल .... विद्यार्थीयों के बैंक खाते की पासबुक में उल्लेखित खाता नम्बर एवं आई.एफ.एस.सी. कोड का सूक्ष्म परीक्षण संस्था प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति प्रभारी द्वारा संयुक्त रुप से किया गया एवं छात्रवृत्ति आवेदन फार्म एवं पासबुक में उल्लेखित बैंक खाता नम्बर एवं आई एफ.एस.सी कोड एक समान ही पाया गया तथा विद्यार्थी द्वारा उक्त बैंक खाता को आधार नम्बर से कराया जाकर विद्यार्थी द्वारा बैंक खाता वर्तमान में नियमित संचालित संबंधी घोषणा पत्र प्रपोजल सूची अनुसार संस्था में संधारित किया गया है।

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर
छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम ---------
मोबाईल नम्बर ....
दिनांक ....

प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
प्राचार्य/निर्देशक का नाम ---------
मोबाईल नम्बर ....
दिनांक ....

नोटः- प्रारुप विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

।।प्रारुप क्र. 03 (ब) की जानकारी।।

(विद्यार्थियों द्वारा संस्था में जमा करने हेतु)

।। विद्यार्थी द्वारा बैंक खाता नियमित संचालित करने संबंधी घोषणा पत्रक ।।

मैं -------------------------- पिता -------------- निवासी ----------------- जाति -------------- प्रमाणित करता हूॅ कि मेने अपना बैंक खाता क्रमांक ....बैंक का नाम/ पता .... आईएफएससी कोड .... को अपने आधार नम्बर -------------------------------- से लिंक करा दिया गया है।

यदि इस हेतु मेरा छात्रवृत्ति राशि का ई पेमेन्ट फेल होता है, तो इसकी जवाबदारी/ राशि का वहन मेरे द्वारा किया जावेगा।

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर ----------------------
छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम ----------------------
छात्रवृत्ति प्रभारी का मोबाईल नम्बर ----------------------
दिनांक ....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर ----------------------
विद्यार्थी का नाम ----------------------
मोबाईल नम्बर ----------------------
अप्लीकेशन आई डी ---------------------
दिनांक ....

नोटः- प्रारुप विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

।।प्रारुप क्र. 04 (अ) की जानकारी ।।

संस्था का कोड .... संस्था का नाम ....

वर्ष 2022-23 (2.0 पोर्टल पर) में कार्यालय द्वारा जारी छात्रवृत्ति दिशा निर्देश के आदेश क्र........................ दिनांक .... के तहत बिन्दु क्र. 19 के अंतर्गत अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थीयों की विभाग द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत, आदेश क्रमांक .... दिनांक......................... में स्वीकृत कुल .... विद्यार्थीयों की संस्था में उपस्थिति संस्था प्रवेश दिनांक से छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक 75 प्रतिशत् उपस्थिति की जानकारी छात्रवृत्ति पोर्टल पर संस्था प्राचार्य द्वारा अंकित कर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 से प्राप्त रिपोर्ट की हार्ड कॉपी, स्वीकृत सूची एवं विद्यार्थीयों द्वारा 75 प्रतिशत् उपस्थिति के संबंध में दिया गया घोषणा पत्र संलग्न कर छात्रवृत्ति वितरण हेतु विभाग को प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- 01. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश की कॉपी

02. छात्रवृत्ति पेार्टल से प्राप्त उपस्थिति रिपोर्ट की कॉपी

छात्रवृत्ति प्रभारी के हस्ताक्षर	प्राचार्य/निर्देशक के हस्ताक्षर
छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम ---------	प्राचार्य/निर्देशक का नाम ---------
मोबाईल नम्बर	मोबाईल नम्बर ....
दिनांक	दिनांक ....

नोटः- 01. प्रारुप विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

02. छात्रवृत्ति स्वीकृति लॉक दिनांक से 07 दिवस के भीतर जानकारी विभाग में जमा करना अनिवार्य है।

।।प्रारुप क्र. 04(ब) की जानकारी।।

।। विद्यार्थी द्वारा उपस्थिति के संबंध में घोषणा पत्र जानकारी का पत्रक ।।

मैं ---------------------- पिता ------------------- निवासी --------------- वर्ष 2022-23 में संस्था --- -------------------- में विषय ----------- वर्ष .... (I,II,III,IVअनुसार अंकित करे) में नियमिति अध्ययनरत् हूँ, एवं मेरी छात्रवृत्ति विभाग द्वारा स्वीकृत की गई जिसका अप्लीकेशन आई डी क्रमांक .... है।

01. संस्था में मेरी उपस्थिति प्रवेश दिनांक .... से छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक ....तक ....प्रतिषत् है।

02. मेरे द्वारा वर्ष 2022-23 में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा फार्म भरा गया है अथवा नही (हॉ/नही).

मेरी द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी के आधार पर संस्था प्राचार्य के द्वारा सहमति प्रदान कर छात्रवृत्ति राशि का वितरण मेरे एकल बैंक खाते में विभाग द्वारा किया जाये।

उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य है।

नोट :- उपरोक्त प्रमाण पत्र संस्था अपने पास सुरक्षित रखेगी।

विद्यार्थी के हस्ताक्षर ----------------------

विद्यार्थी का नाम ----------------------

मोबाईल नम्बर ----------------------

अप्लीकेशन आई डी --------------------

दिनांक ....

नोटः- शपथ पत्र विधिवत् पूर्णतः कम्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

कार्यालय शासकीय/ अशासकीय संस्था --------------------------- जिला इन्दौर

।। पिछडा वर्ग पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति हेतु संधारित पंजी का प्रारूप वर्ष 2022-23 ।।

क्रमांक	विद्यार्थी का पुरा नाम	पिता का नाम	कक्षा	जाति/ वर्ग	स्थायी पता	अभिभाव का व्यवसाय	अभिभावक की वार्षिक आय	मोबाईल नम्बर	प्रपोजल नम्बर व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Application ID	आधार नम्बर	Name of Bank	Account no	IFSC Code	Samagra ID	छात्रवृत्ति स्वीकृति क्रमांक व दिनांक	स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि राशि	विद्यार्थी की संस्था में उपस्थिति का प्रतिशत्	विद्यार्थी का फोटो	विद्यार्थी के हस्ताक्षर
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

(500 रूपये के स्टाम्प पर नोटरीकृत करते हुए संस्थाकोड वार पृथक-पृथक जमा करें)

।। शपथ पत्र ।।

।। पिछडा वर्ग पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0/ एमपीटास पोर्टल पर वर्ष 2022-23 के संबंध में निदेशक/प्राचार्य/डीन द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र ।।

मैं ------------------ निदेशक /प्राचार्य/डीन संस्था कोड (एमपीटास) ------------ संस्था कोड (2.0) ---------- संस्था ------------------------ पता ------------- जिला इन्दौर पिछडावर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0/ एमपीटास पोर्टल पर पर वर्ष 2022-23 के संबंध में घोषणा करता हूँ कि :-

01. संस्था ---------------------------- को ---------------------------- के द्वारा वर्ष 2022-23 की मान्यता एवं ---------------- -------- से संबध्दता प्राप्त होकर निम्नानुसार जानकारी संलग्न है :-

A	मान्यता/ संबध्दता के आदेश की प्रति	संलग्न हॉ/ नहीं
B	संस्था की सामान्य जानकारी	संलग्न हॉ/ नहीं
C	डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र	संलग्न हॉ/ नहीं
D	फी केपिंग की जानकारी	संलग्न हॉ/ नहीं
E	ए.एफ.आर.सी (लागु होने पर संलग्न करें)	संलग्न हॉ/ नहीं
F	अल्पसंख्यक मान्यता प्रमाण पत्र (लागु होने पर संलग्न करें)	संलग्न हॉ/ नहीं

02. मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की फीस केपिंग अच्छी तरह से जॉचकर एवं सोच समझकर मेरे द्वारा पोर्टल पर अपलोड की गई है। उसकी जॉच मेरे द्वारा कर ली गई है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटी होने से यदि गलत छात्रवृत्ति की स्वीकृति जारी होती है। इसके लिए में एवं संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूँगा।

03. हमारी संस्था के समस्त विद्यार्थी नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया का पालन कर प्रवेशित है, तथा संस्था द्वारा मान्यता/ संबंध्दता प्रदान की जाने वाली संस्था के समस्त नियमों का पालन किया जा रहा है। यदि किसी नियम में विसंगति या उल्लघंन पाया जाता है, तो उसके लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

04. पिछडा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल (2.0) पर मेंरे समक्ष प्राधिकारी श्री ------------ पिता --------------- के डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड किये गये है, और प्रत्येक विद्यार्थी के छात्रवृत्ति आवेदन के पूर्ण/ सूक्ष्म परीक्षण और उनके सही होने का पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के डिजिटल हस्ताक्षर धारक प्रतिनिधी का है।

05. पिछडा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल (2.0 तथा एमपीटास पोर्टल पर) पर समस्त विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन व सह दस्तावेजों का पूर्ण/ सूक्ष्म परीक्षण मेंरे द्वारा किया गया है। ऑनलाईन आवेदन एवं समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों में परिवर्तन होने पर आवेदन निरस्त किए जावेगें। जिसके लिए मेरी सहमति होगी।

06. एमपीटास पोर्टल पर प्रवेश संबंधी तथा फीस संबंधित त्रुटी रहित (जन्म दिनांक/ जाति वर्ग/ प्रवेश दिनांक / व अन्य प्रकार) डाटा अपलोड मेंरे द्वारा संबंधित संस्था के लाईन डिपार्टमेंट से संपर्क कर अपलोड करवाने की जिम्मेदार मेरी स्वयं की होगी।

07. मुझे विदित है, कि पिछड़ा वर्ग पोस्ट् मेट्रिक छात्रवृत्ति (2.0 तथा एमपीटास पोर्टल पर) स्वीकृति भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस है। जिसमें दस्तावेजों के परीक्षण का संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था/ सक्षम अधिकारी का है।

08. मुझे विदित है, छात्रवृत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एवं पेपरलेस की गई है, विद्यार्थियों के ऑनलाईन आवेदन एवं ऑनलाईन अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण शैक्षणिक संस्था प्रमुख (शपथ ग्रहिता) की जिम्मेदारी होगी।

09. संस्था में पिछडा वर्ग पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन (2.0 के लिए) के प्रस्ताव जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने के पूर्व मेंरे द्वारा प्रत्येक छात्र के छात्रवृत्ति आवेदन को पोर्टल पर अग्रेषित करने से पूर्व विदयार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, जन्म दिनांक, आय, मूल निवासी, पाठ्यक्रम का गत वर्ष उत्तीर्ण अंकसूची (एक साल/ दोनो सेमेस्टर), एडमिशन का मोड (डायरेक्ट एडमिशन, सेन्ट्रल लेवल काउंसलिंग, कॉलेज लेवल काउंसलिंग) एवं अन्य महत्तवपूर्ण जानकारियों की सूक्ष्मता से जॉच करने के उपरांत ही पात्र छात्रवृत्ति आवेदन प्रपोजल बनाये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

10. संस्था में पिछडा वर्ग पोस्ट मेंट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन (एमपीटास के लिए) के शासकीय नोडल संस्था में प्रस्तुत करने के पूर्व मेंरे द्वारा प्रत्येक छात्र के छात्रवृत्ति आवेदन को पोर्टल पर अग्रेषित करने से पूर्व विदयार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, जन्म दिनांक, आय, मूल निवासी, पाठ्यक्रम का गत वर्ष उत्तीर्ण अंकसूची (एक साल/ दोनो सेमेस्टर), एडमिशन का मोड (डायरेक्ट एडमिशन, सेन्ट्रल लेवल काउंसलिंग, कॉलेज लेवल काउंसलिंग) एवं अन्य महत्तवपूर्ण जानकारियों की सूक्ष्मता से जॉच करने के उपरांत ही पात्र छात्रवृत्ति आवेदन एप्रुवल एवं स्वीकृति हेतु अग्रेषित संबंधित समस्त कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

11. एमपीटास पोर्टल पर छात्रवृत्ति स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज मय सहदस्तावेजों के स्वीकृतिकर्ता शासकीय नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किए जायेगें। ऑनलाईन आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटी हेतु स्वीकृतिकर्ता शासकीय नोडल अधिकारी को सहयोग किया जावेगा। मेंरे द्वारा असहयोग करने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में मेरी स्वयं की जिम्मेदार होगी। जिसका वहन मेंरे द्वारा किया जावेगा।

12. यदि मेंरे द्वारा पोर्टल पर गलत फी केपिंग की जाती है, तो कम राशि की स्वीकृति की स्थिति में संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि संस्था स्तर से छात्र के आवेदन TFW ऑप्शन (ट्यूशन फीस वेवर) पर क्लिक किया जाता है, तो छात्र की शिक्षण शुल्क की राशि (शून्य) स्वीकृत होने के संबंध में संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। ऐसी स्थिति में संस्था विद्यार्थी को होने वाले नुकसान को समायोजित करने के लिए उत्तरदायि होगी।

निरंतर -------

13. विद्यार्थियों के आवेदन पत्र की प्रति संस्था में सुरक्षित रखी जावें, कार्यालय द्वारा जब भी आवश्यकता होगी (आडिट, RTI, या अन्य विवाद के समय) आपके द्वारा विभाग को आवेदन पत्र/ संलग्न सहपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन/ दस्तावेज सुरक्षित रखे जायेगें।
14. संस्था द्वारा विद्यार्थीयों की संस्था में प्रवेश दिनांक से छात्रवृत्ति स्वीकृति दिनांक तक / एमपीटास पोर्टल पर आवेदन के वेरिफिकेशन दिनांक तक की स्थिति में उपस्थिति छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज की गई है। उपस्थिति त्रुटीपूर्ण ऑनलाईन दर्ज होने पर मेरी स्वयं की जिम्मदारी होगी । छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थी की उपस्थिति संबंधी जानकारी गलत दर्ज होने पर सीएम हेल्पलाईन/ अन्य प्रकार की शिकायतों की स्थिति में संस्था उत्तरदायि होगी। विद्यार्थियों को संस्था के अधिकारी/ कर्मचारी के द्वारा हुई गलत की क्षतिपूर्ति मेरे द्वारा की जावेगी।
15. संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थी किसी भी शासकीय/अशासकीय सेवा में वेतन/मानदेय / मजदूरी / अवैतनिक / इंटर्न के रुप ने किसी भी सेवा में नियोजित नहीं रहे है।
16. संस्था द्वारा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाकर सूचित किया गया है, कि विद्यार्थियों के आवेदनों पर विद्यार्थियों द्वारा समस्त जानकारी पूर्णतः जॉच कर नियमानुसार एवं पात्रतानुसार भरी गई है। यदि विद्यार्थियों द्वारा आवेदन में गलत जानकारी भरने से उसका आवेदन निरस्त हो तो है, तो इस स्थिति में विद्यार्थी स्वयं पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगा।
17. विद्यार्थियों द्वारा (2.0 पेार्टल पर) गलत खाता नम्बर/ बंद खाता नम्बर दिये जाने पर छात्रवृत्ति भुगतान न होने की स्थिति में विद्यार्थी एवं संस्था पूर्ण रुप से जिम्मेदार होगी तथा एमपीटास पोर्टल पर प्रत्येक विद्यार्थी का NPCI आधार लिंक की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
18. संस्था में अध्ययनरत् पिछडा वर्ग के विद्यार्थी द्वारा अपने आधार नम्बर की जानकारी बैंक खाते में पंजीकृत कर लिया गया है, तथा इसका सत्यापन संस्था द्वारा भी कर लिया गया है।
19. परिपत्र के संलग्न सभी प्रारुप मेरे द्वारा पूर्ण रुप से पढे जाकर परीक्षण पश्चात् हस्ताक्षरित कर छात्रवृत्ति प्रपोजल के साथ प्रस्तुत करुंगा/ करुंगी।
20. छात्रवृत्ति परिपत्र में दिए गए सभी बिन्दुओं का अध्ययन मेरे द्वारा कर लिया गया है, जिनका मेरे द्वारा पालन करुंगा/ करुंगी।
21. समय समय पर जारी विभागीय दिशा निर्देशो का पालन करुंगा/ करुंगी।

मेरे द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 21 तक का अध्ययन कर लिया गया है, तथा सभी बिन्दुओं की जानकारी मेरे द्वारा सही एवं सत्यता से पूर्ति की जाकर मे अपनी सहमति से उपरोक्त शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा/ रही हूँ।

नोटः- शपथ पत्र विधिवत् पूर्णतः कम्प्यूटर टाईपिंग से भरा हुआ ही मान्य किया जावेगा।

शपथ ग्रहिता
नाम ---------------------------
पद ---------------------------
मो. न. ---------------------------
व सील

।। घोषणा पत्र ।।

मै श्री/श्रीमति------------------------------- पिता/ पति ---------------------------------------
निवासी (संपूर्ण पता) --- सत्य कथन करता/ करती हूँ, कि बिन्दु क्रमांक 01 लगायत बिन्दु क्रमांक 21 मेरे संपूर्ण ज्ञान एवं विवेक अनुसार सत्य है, किसी भी प्रकार के मिथ्या जानकारी की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व मुझ स्वयं का होगा।

शपथ ग्रहिता
नाम ---------------------------
पद ---------------------------
मो. न. ---------------------------
व सील